न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मुकदमा नम्बरः– 47/2024
निर्णय दिनांकः–12.12.2024
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. मुकेश पुत्र जगदीश प्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद
3. नानगी पत्नि जगदीश प्रसाद समस्त जातियान खटीक निवासीयान निमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज0।

वादीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

प्रतिवादी

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री राजेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार
वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय दिनांकः–12.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 593 के खसरा नम्बर 1012/34, 2663, 2664, 2665, 2666, 2674, 2675 कुल किता 07 कुल रकबा 3.1613 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे वादीगण की खातेदारी नानगी पत्नि स्व0 कालू, मुकेश पुत्र कालू व सुरेन्द्र पुत्र कालू के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज/दादा के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। जब वादीगण के पिता, चाचा/ताउ बाल्यावस्था में ही थे तभी गंगल्या पुत्र ईशरा की मृत्यु हो गई थी जिससे उक्त विवादित भूमि में उनकी विरासत का नामान्तकरण जिसका नामान्तकरण संख्या 1084 दिनांक 09.07.1987 को वादीगण के पिता, चाचा/ताउ के नाम भरा गया जिसमें वादीगण के पिता के घरू बोलते नाम कालू दर्ज कर दिया गया तदनुसार उक्त भूमि की खातेदारी भी कालू पुत्र गंगल्या के नाम से दर्ज हो गई। जबकि उनका वास्तविक नाम जगदीश प्रसाद था। वादीगण के पिता अनपढ थे तथा कानूनी जानकारी नही थी इसलिये उन्होनें कभी अपना नाम ठीक करवाने की कार्यवाही भी नहीं की और बाद में उनका भी देहान्त हो गया जिनकी विरासत का वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 1477 दिनांक 03.09.1998 को भरा गया और बाद स्वीकृति उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई। वादीगण के भी सभी दस्तावेजों में उनकी वल्दियत जगदीश प्रसाद के नाम से ही अंकित है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम कालू अंकित होने व उनके द्वारा अपने जीवनकाल में कभी दुरूस्त नहीं करवाने के कारणवश वादीगण की वल्दियत कालू ही चली आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाकर कालू की जगह जगदीश प्रसाद किया जाना न्यायोचित है। अभी वादीगण ने जब अपनी उक्त आराजी पर के. सी. सी. ऋण लिये जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड निकलवाया तो वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को इस बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय मे जाकर चाराजोही करने बाबत कहा जिस पर उक्त दुरुस्ती का वाद पेश किया जाना लाजिम हुआ। वादीगण के पति/पिता की मृत्यु को लगभग 26 वर्ष हो चुके है जिनके पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में मुख्यतः राशनकार्ड प्रचलन में था जिसमें

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उनका नाम जगदीश प्रसाद ही दर्ज है तथा वादीगण के भी सभी राजकीय दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि सभी में भी वादीगण के पिता / पति का नाम जगदीश प्रसाद अंकित है और यहीं वास्तविक नाम से वादी के नाम नामान्तकरण भरा जाकर खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी उक्त गलत इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हुआ है जो कि न्यायहित में दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी में वादीगण की सही वल्दियत जगदीश प्रसाद की जगह कालू दर्ज होने से वादीगण उक्त भूमि के बाबत् कोई सरकारी सुविधा प्राप्त करने से वंचित हो रहे है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम निमेडा में कालू पुत्र गंगल्या व जगदीश प्रसाद पुत्र गंगल्या नाम का अन्य कोई नहीं है और ना ही कोई पैदा हुआ है इसी प्रकार वादीगण की वल्दियत जो कि उनके राजकीय दस्तावेजों में जगदीश है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में कालू है इस अनुसार वादीगण की वल्दियत कालू व जगदीश नाम का जिनके पिता का नाम गंगल्या हो भी अन्य कोई व्यक्ति ग्राम निमेडा में ना तो पहले कभी मौजूद था और ना ही आज है। इस प्रकार उक्त दोनों नामों का एक ही व्यक्ति है जो कि वादीगण के पिता जगदीश प्रसाद है। वादीगण के पूर्वज / दादा की मृत्यु के बाद वादीगण के पिता जो कि उस वक्त नाबालिग थे जिनका घरू बोलता नाम कालू होने से हलका पटवारी के द्वारा वहीं नाम नामान्तकरण संख्या 1084 में भरा गया और उसी अनुसार उनके नाम खातेदारी दर्ज हो गई जो कि उनके जीवन पर्यन्त रही तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के नाम भी वादीगण की वल्दियत कालू ही दर्ज हो गई जबकि उनका वास्तविक नाम जो कि उनके राशनकार्ड व वादीगण के सभी दस्तावेजों में जगदीश प्रसाद है होना चाहिये था जिसे दूरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आशय बाबत जब वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष गये और उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने बाबत कहा गया तो वादीगण को वादकारण उत्पन्न हुआ जो कि मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होकर आज दिन तक निरन्तर जारी है जिस पर उक्त वाद अवधि अन्तर्गत प्रस्तुत है। विवादित भूमि एवं पक्षकारान का निवास स्थान ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश किया गया एवं अपने जवाब मे बताया कि ग्राम नीमेडा मे कालू पुत्र गंगल्या व जगदीश प्रसाद पुत्र गंगाराम दोनो अलग अलग व्यक्ति नही होकर एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। मृतक जगदीश प्रसाद का घर में बोलता नाम कालू होने की वजह से नामान्तकरण खोलते समय कालू नाम दर्ज होना बताया गया है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक़्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075 – 2078 वाके ग्राम नीमेडा के खाता सं0 593 मे वादीगण का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसमे वादीगण के पिता / पति का नाम कालू दर्ज है। वादीगण को उक्त विवादग्रस्त आराजी जरिये

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

विरासत नामान्तकरण सं0 1477 दिनांक 03.09.1998 के द्वारा प्राप्त हुई हैं।वादीगण के अन्य दस्तावेजात मे पिता/पति का नाम जगदीश अंकित है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब व फर्द मौका पर्चा रिपोर्ट मे कालू व जगदीश एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया है एवं तहसीलदार द्वारा अपने जबाब मे वादीगण के पिता/पति का नाम कालू के स्थान पर जगदीश दुरूस्त किया जाना उचित बताया उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे न्यायालय वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 593 के खसरा नम्बर 1012/34, 2663, 2664, 2665, 2666, 2674, 2675 कुल किता 07 कुल रकबा 3.1613 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन क्रमशः नानगी पत्नि स्व0 कालू, मुकेश पुत्र कालू, सुरेन्द्र पुत्र कालू के स्थान पर नानगी पत्नि जगदीश प्रसाद, मुकेश पुत्र जगदीश प्रसाद, सुरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

12/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (दूदू)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. मुकेश पुत्र जगदीश प्रसाद
2. सुरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद
3. नानगी पत्नि जगदीश प्रसाद समस्त जातियान खटीक निवासीयान निमेडा तहसील फागी जिला दूदू राज0।

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू।

::– वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ::–

मु0न0:– 47 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री राजेन्द्र कुमार जैन हाजिर रूबरू प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी सं. 593 के खसरा नम्बर 1012/34, 2663, 2664, 2665, 2666, 2674, 2675 कुल किता 07 कुल रकबा 3.1613 है0 भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कमशः नानगी पत्नि स्व0 कालू, मुकेश पुत्र कालू, सुरेन्द्र पुत्र कालू के स्थान पर नानगी पत्नि जगदीश प्रसाद, मुकेश पुत्र जगदीश प्रसाद, सुरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादीगण को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।**

निज ..X.. मुबलिग ..X.. बाबत ..X.. खर्चा
इस मुकदमे के मय सूद बशरह ..X.. फीसदी ..X.. सालाना आज से तारीख से तारीख अदायगी तक ..X.. का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.12.2024 को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

12/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू